[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3
उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 23/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 14 मई, 2020

सा.का.नि. – (अ). – सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा(1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में,-

(i) शर्त सं.10 में, शर्त (ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(ii) शर्त सं. 21 में, शर्त (ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त मदों के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(iii) शर्त सं. 28 में शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(iv) शर्त सं. 32 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(v) शर्त सं. 33 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(vi) शर्त सं. 36 में, शर्त(ख) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।";

(vii) शर्त सं. 101 में, शर्त(ग) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा:-
"बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा 31 मार्च, 2020 तक के लिए जारी किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य और मात्रा के आयात के मामले में 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।" ।

(फा. सं.605/10/2020 डीबीके)

गोपालकृष्ण
14/5/2020

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्राबैक)

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क दिनांक 02 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि.61 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशिक किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया है।